भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

पत्रांक संख्या- एफ-5-3/भण्डार/2024-25/ 2576 दिनांक 10 अक्टूबर,2024

सेवा में,

सी.पी.आर.आई. वेबसाईट

विषय- ऑवले के पेडों पर लगी फलत की बिक्री हेतु कोटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

इस केन्द्र के मोदीपुरम रिसर्च युनिट एवं पाबली प्रक्षेत्र पर निम्नलिखित ऑवले के पेडों पर लगी फलत की बिक्री होनी है। अत: इच्छुक क्रेता/ठेकेदार अपनी सील बंद कुटेशन इस कार्यालय में दिनांक **22-10-2024** तक **12.30** बजे भेजने की व्यवस्था करें। देय तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कुटेशन को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। कुटेशन लिफाफे के ऊपर फलत का नाम, देय तिथि एवं आपका पूरा नाम व पता अंकित होना चाहिये। क्रेता को संलग्न नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। कुटेशन उसी दिन दिनांक **22-10-2024** दोपहर **3.00** बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जायेंगी। आप अपने रेटस संलग्न वित्तीय विवरण प्रोफार्मा में भरकर जमा करें।

1-	मोदीपुरम रिसर्च यूनिट पर उपलब्ध कलमी किस्मों के आंवले की फलत	लगभग 100 पेड
2-	पाबली प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कलमी किस्मों के आंवले की फलत	लगभग 65 पेड

भवदीय

10/10/24

प्रभारी भण्डार

संलग्न: नियम एवं शर्तें तथा वित्तीय विवरण प्रोफार्मा

भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

नियम व शर्तें:-

1- प्रत्येक क्रेता को रूपये **20,000/-** (रूपये बीस हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/**NEFT/RTGS/UPI** या अन्य ऑनलाईन बैंकिग की मूल प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हैडा कोड सं0-**3067** पर देय होना चाहिये। **NEFT/RTGS/UPI** या अन्यऑनलाईन बैंकिग माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है:- बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- पल्हैडा **3067**, खाता संख्या-**10172900089** आईएफएससी नं0-**SBIN0003067**

2- मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आवंले के पेडों की फलत के लिये रेटस एक मुश्त धनराशि के रूप में अलग-अलग यूनिट के हिसाब से संलग्न वित्तीय विवरण प्रोफार्मा में देने होंगे और अधिकतम बोलीदाता को यूनिट वार अवार्ड किया जायेगा।

3- रेटस अंकों एवं शब्दों में लिखे होने चाहियें।

4- पेडों पर लगी फलत का निरीक्षण मोदीपुरम रिसर्च यूनिट व पाबली यूनिट पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.00 बजे से सांय 5.30 तक समय किया जा सकता है।

5- सशर्त कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेंगी।

6- माल जैसा है और जहाँ के आधार पर तोडकर अपने वाहन से ले जाना होगा।

7- जिस क्रेता/ठेकेदार के रेटस आंवले की फलत के सबसे ज्यादा होंगे उसी के ही रेटस/कुटेशन स्वीकार की जायेगी।

8- आदेश मिलने की तिथि से क्रेता को तीन दिनों के अन्दर 50% एवं एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण फलत का भुगतान कार्यालय में जमा करना होगा ऐसा न करने की स्थिति में कार्यालय में जमा धरोहर राशि अंकन रूपये 20,000/- जब्त कर ली जायेगी। भुगतान कैशलेस माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। यदि उपरोक्तानुसार क्रेता धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार होगा कि वे संबंधित क्रेता के रेटस को अस्वीकार मानते हुये कोई भी आगामी निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगें।

9- सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के बाद ही फलत को तोडने दिया जायेगा।

10- दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र के सभी पेडों की सारी फलत तुडाई करके अपने वाहन से ले जाना होगा अन्यथा की स्थिति में केन्द्र अपने स्तर से इसकी व्यवस्था कराने के लिये स्वतंत्र होगा और संबंधित क्रेता को दो साल के लिये काली सूची में डालने के लिये स्वतंत्र होगा।

11- मण्डी शुल्क तथा अन्य कोई दर देय होगा तो वह भी क्रेता को वहन करना होगा।

12- रेटस स्वीकार एवं ऑर्डर मिलने के पश्चात, सम्पूर्ण फलत की सुरक्षा करने की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता/ठेकेदार की होगी एवं इस प्रयोजन हेतु क्रेता को किसी भी प्रकार का ठिकाना बनाने एवं परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि क्रेता द्वारा इसक उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान उसी समय अनुबन्ध को निरस्त करने को स्वतंत्र होगा। तथा यह निर्णय मानना ठेकेदार के लिये बाध्यकारी होगा।

13- आंधी, तुफान एवं अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं क्रेता/ठेकेदार की होगी।

14- माल की बोरी में भराई, तुलाई, सिलाई ट्रक में लदाई व अन्य खर्चा यदि कोई होगा तो वह भी क्रेता को ही वहन करना होगा।

15- सिंचाई, पानी को छोडकर कार्यालय द्वारा कोई यंत्र, कीटनाशक, कृषि रसायन, लेबर एवं बारदाना नहीं दिया जायेगा।

16- क्रेता को नियम एवं शर्तों तथा वित्तीय विवरण प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।
17- कर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगा तो उसकी भरपाई क्रेता द्वारा ही की जायेगी।
18- कटिंग एवं ओवर राईटिंग की स्थिति में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
19- किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कारण बताये अध्यक्ष महोदय को रदद् करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय निदेशक महोदय केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला हि0प्र0 का होगा उसे मानने के लिये सभी बाध्य होंगें।

प्रभारी भण्डार

वितरण:-

1- सूचना पटट, मोदीपुरम, पाबली, सी0ब्लॉक एवं मछरी प्रक्षेत्र, के0आ0अनु0सं0क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ।

भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

वित्तीय विवरण प्रोफार्मा
Financial Bid

क्रम संख्या	फलत का नाम	प्रक्षेत्र का नाम जहां फलत उपलब्ध हैं	कलमी किस्मों के आंवले के पेडों की अनुमानित संख्या	एक मुश्त धनराशि के रूप में अलग-अलग यूनिट के हिसाब से रेटस दें
1-	कलमी किस्मों के आंवले की फलत	मोदीपुरम	लगभग 100 पेड	अंकों में ------------- शब्दों में-----------------
2-	कलमी किस्मों के आंवले की फलत	पाबली	लगभग 65 पेड	अंकों में --------------- शब्दों में-------------

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि मुझे आंवले की फलत की बिक्री हेतु दिये गये सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

ठेकेदार का नाम ---------------------------------

पता --

मोबाईल नम्बर ---------------------------------

पैन कॉर्ड नम्बर ---------------------------------

हस्ताक्षर --